Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **दौसा में आरोपी आदित्य शर्मा, प्रयोंगशाला सहायक रा.उ.मा वि. बसवा हाल प्रतिनियुक्ति एसडीएम कार्यालय बांदीकुई जिला दौसा को रामसिंह राजावत, उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा के नाम पर 15,000/– रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।**

जयपुर, दिनांक 20 अप्रेल 2026, सोमवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी अलवर प्रथम द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **आदित्य शर्मा प्रयोगशाला सहायक रा.उ. मा वि. बसवा हाल प्रतिनियुक्ति एसडीएम कार्यालय बांदीकुई जिला दौसा को श्री रामसिंह राजावत, उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा** के नाम पर **15000/– रूपये** रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. **हैल्पलाईन नम्बर 1064** पर परिवादी की शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी ने मानसी बनाम शिवलखन वगैरह के नाम से एसडीएम कोर्ट बांदीकुई में दिनांक 15.04.2026 को एक दावा पेश किया गया था, उसके पश्चात एसडीएम श्री रामसिंह राजावत ने उक्त पत्रावली में स्टे देने की एवज में 30 हजार रूपये की मांग अपने अधीन कार्यरत प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारी आदित्य शर्मा के मार्फत करना शुरू कर दिया। स्टे आदेश करने एवज के में परिवादी को 30,000/– रूपये की रिश्वत मांग कर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी चौकी अलवर प्रथम द्वारा दौराने सत्यापन दिनांक 17.04.2026 को 15,000/– रूपये की मांग करना पाया गया।

जिस पर एसीबी के **उप महानिरीक्षक पुलिस–चतुर्थ श्री भूवन भूषण** के सुपरवीजन में ए.सी.बी.चौकी अलवर प्रथम के प्रभारी **उप अधीक्षक पुलिस श्री शब्बीर खान** द्वारा आज ट्रेप कार्यवाही करते हुए आदित्य शर्मा प्रयोगशाला सहायक रा.उ. मा. वि. बसवा हाल प्रतिनियुक्ति एसडीएम कार्यालय बांदीकुई जिला दौसा को श्री रामसिंह राजावत, उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा के नाम पर 15,000/–रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस श्रीमती एस परिमला के सुपरवीजन में आरोपीगण से पुछताछ एवं कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्जकर अग्रिम अनुसंधान किया